



# MAHARSHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY, AJMER

No. F.14(178)Acad.II/MDSU/2022/

Dated:-

**The Principal,  
Chhoti Devi Memorial Girls B.Ed. College,  
Opp. Gramotthan Vidyapeeth,  
Ladnun Road, Deedwana, (Nagaur)**

Sub.- Extension in provisional affiliation for the session 2018-19 to 2021-22.

Dear sir,

With reference to your application for the purpose mentioned in the subject cited above. I am directed to inform you that on the recommendation of the Affiliation Committee, the Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to grant extension in provisional affiliation to your college in the course mentioned below for the academic session along with the seats as mentioned against the said course subject to fulfillment of the conditions mentioned below and overleaf during the session the aforesaid period.

Course	Session	Seats
B.Ed.	2018-19 to 2021-22	200
B.A. B.Ed.	2018-19 to 2021-22	50
B.Sc. B.Ed.	2018-19 to 2021-22	50

नोट:- महाविद्यालय को सत्र 2018-19 से 2021-22 तक में 02 वर्षीय बी.एड. एवं 04 वर्षीय बी.ए. एड./ बी.एससी. बी.एड. पाठ्यक्रमों की उपरोक्त अंकित सीटों की अस्थाई सम्बद्धता वृद्धि विश्वविद्यालय पत्रांक 18314 दिनांक 02.07.2022 के क्रम में विश्वविद्यालय रसीद सं. 00000454 दिनांक 06.07.2022 के द्वारा आर्थिक दण्ड राशि रु. 4,00,000/- (अक्षरे रु. चार लाख ) मात्र विश्वविद्यालय कोष में जमा कराए जाने के पश्चात् निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की गई है, कि महाविद्यालय को 60 दिवस में निम्नानुसार कमियों की पूर्ति कर प्रमाणिक दस्तावेज विश्वविद्यालय को भिजवाना अनिवार्य है, अन्यथा सत्र 2022-23 में प्रवेश पर रोक रहेगी:-

सत्र 2018-19:-

1. महाविद्यालय में सत्र 2018-19 में 02 वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम की 200 सीटों एवं वं 04 वर्षीय बी.ए. बी.एड./ बी.एससी. बी.एड.पाठ्यक्रम की 100 सीटों हेतु नियुक्त शिक्षक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मानदण्ड तथा क्रिया विधि) (संशोधन) विनियम 2017 के प्रावधानानुसार नेट/सेट नहीं होने के आधार पर योग्यताधारी नहीं है। निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें।
2. महाविद्यालय सत्र 2018-19 हेतु संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप-4)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी पत्रांक:- प031(1)शिक्षा-4/2016 दिनांक 17.04.2018 के क्रम में महाविद्यालय परिसर में उक्त महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य संस्था/महाविद्यालय संचालित नहीं किए जाने बाबत महाविद्यालय भूमि का खसरा नम्बर अंकित करते हुए रु 100/- के नॉन जयूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
3. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2018-19 में 02 वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम एवं 04 वर्षीय बी.ए. बी.एड./ बी.एससी. बी.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों की यूजीसी / राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय नियमानुसार कालांश व उपास्थिति की अनिवार्यता सुनिश्चित करें।

सत्र 2019-20:-

1. महाविद्यालय में सत्र 2019-20 में 02 वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम की 200 सीटों एवं वं 04 वर्षीय बी.ए. बी.एड./ बी.एससी. बी.एड.पाठ्यक्रम की 100 सीटों हेतु नियुक्त शिक्षक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मानदण्ड तथा क्रिया विधि) (संशोधन) विनियम 2017 के प्रावधानानुसार नेट/सेट नहीं होने के आधार पर योग्यताधारी नहीं है। निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें।
2. महाविद्यालय सत्र 2019-20 हेतु संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप-4)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी पत्रांक:- प031(1)शिक्षा-4/2016 दिनांक 17.04.2018 के क्रम में महाविद्यालय परिसर में उक्त महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य संस्था/महाविद्यालय संचालित नहीं किए जाने बाबत महाविद्यालय भूमि का खसरा नम्बर अंकित करते हुए रु 100/- के नॉन जयूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
3. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2019-20 में 02 वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम एवं 04 वर्षीय बी.ए. बी.एड./ बी.एससी. बी.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों की यूजीसी / राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय नियमानुसार कालांश व उपास्थिति की अनिवार्यता सुनिश्चित करें।

सत्र 2020-21:-

1. महाविद्यालय में सत्र 2020-21 में 02 वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम की 200 सीटों एवं वं 04 वर्षीय बी.ए. बी.एड./ बी.एससी. बी.एड.पाठ्यक्रम की 100 सीटों हेतु नियुक्त शिक्षक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मानदण्ड तथा क्रिया विधि) (संशोधन) विनियम 2017 के प्रावधानानुसार नेट/सेट नहीं होने के आधार पर योग्यताधारी नहीं है। निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें।

2. महाविद्यालय सत्र 2020-21 हेतु संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी पत्रांक:- प031(1)शिक्षा-4/2016 दिनांक 17.04.2018 के क्रम में महाविद्यालय परिसर में उक्त महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य संस्था/महाविद्यालय संचालित नहीं किए जाने बाबत महाविद्यालय भूमि का खसरा नम्बर अंकित करते हुए रु 100/- के नॉन जयूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
3. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2020-21 में 02 वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम एवं 04 वर्षीय बी.ए. बी.एड./ बी.एससी. बी.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों की यूजीसी / राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय नियमानुसार कालांश व उपस्थिति की अनिवार्यता सुनिश्चित करें।

**सत्र 2020-21:-**

1. महाविद्यालय में सत्र 2021-22 में 02 वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम की 200 सीटों एवं वं 04 वर्षीय बी.ए. बी.एड./ बी.एससी. बी.एड.पाठ्यक्रम की 100 सीटों हेतु नियुक्त शिक्षक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मानदण्ड तथा क्रिया विधि) (संशोधन) विनियम 2017 के प्रावधानानुसार नेट/सेट नहीं होने के आधार पर योग्यताधारी नहीं है। निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें।
2. महाविद्यालय सत्र 2021-22 हेतु संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी पत्रांक:- प031(1)शिक्षा-4/2016 दिनांक 17.04.2018 के क्रम में महाविद्यालय परिसर में उक्त महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य संस्था/महाविद्यालय संचालित नहीं किए जाने बाबत महाविद्यालय भूमि का खसरा नम्बर अंकित करते हुए रु 100/- के नॉन जयूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
3. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2021-22 में 02 वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम एवं 04 वर्षीय बी.ए. बी.एड./ बी.एससी. बी.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों की यूजीसी / राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय नियमानुसार कालांश व उपस्थिति की अनिवार्यता सुनिश्चित करें।

The application for the extension in provisional affiliation for the session 2022-23 along with required fee may be sent together with a report about the fulfillment of the conditions of the provisional affiliation up to 31st Dec. 2021. If already deposited, need not to deposit.

Yours faithfully,

*sd*

Dy. Registrar (Acad-II)

No. F.14(178)Acad.II/MDSU/2022/ 20379-91

Dated:- 20/7/22

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Commissioner, College Education, Rajasthan, Jaipur,
2. The Regional Director, N.C.T.E., 4<sup>th</sup> Floor, Jeevan Nidhi-II, LIC Building, Ambedkar Circle, Bhawani Singh Marg, Jaipur - 302005.
3. The Joint Secretary, Higher Education (Gr.1V) Deptt., Government of Rajasthan, Jaipur.
4. The Director Secondary Education, Rajasthan, Bikaner
5. The C.O.F./C.E., M.D.S. University, Ajmer. C.E. to please ensure that forms of only allotted seats may be accepted.
6. Dr. Neeraj Bhargava, Professor and Web Administrator, MDS University, Ajmer - with the request to please include the aforesaid college on the University Website.
7. The Secretary, Sports Board, MDS University, Ajmer.
8. The Dy. Registrar/S.O.(Exam. Professional)/ Secretary, M.D.S. University, Ajmer.
9. The ACP, MDS University, Ajmer.
10. P.S. to V.C./P.A. to Registrar, M.D.S. University Ajmer.

*Y*

Section Officer (Acad.II)